



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277080
CG-DL-E-12102026-277080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5363]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5363]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5575(अ).— केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 16) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,-
(क) 15 अक्तूबर, 2026 को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से धारा 7 (दोनों सहित), धारा 11 और धारा 13 से धारा 17 (दोनों सहित) के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
(ख) 15 दिसंबर, 2026 को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12 के उपबंध प्रवृत्त होंगे,

नियत करती है।

[फा. सं. 2/1(1)/2022-पी एंड जी/नीति/ई]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5575(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Act, 2026 (16 of 2026), the Central Government hereby appoints, —

- (a) the 15th October, 2026 as the date on which the provisions of sections 2 to 7 (both inclusive), section 11 and sections 13 to 17 (both inclusive) of the said Act shall come into force;
- (b) the 15th December, 2026 as the date on which the provisions of section 12 of the said Act shall come into force.

[F. No. 2/1(1)/2022-P&G/Policy/E]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy.